पंजीकृत की जाने वाली किस्म के गुण

- स्पष्ट विभिन्ता
- समरूपता
- टिकाऊपन

अधिनयम के अन्तर्गत किसान की संज्ञा

- जो व्यक्ति खुद खेती करता है या
- जो अपने निरीक्षण में दूसरों से खेती करवाता है या
- ऐसे व्यक्ति जो अकेले या कुछ लोग मिलकर पारम्परिक प्रजातियों या जंगली प्रजातियों (वन्य सम्बन्धी) को संरक्षित करते हैं ।

कृषक प्रजाति

- ऐसी प्रजाति के पौधे जो किसानों द्वारा विकसित किये गए हों एवं जिनकी खेती पीढ़ी दर पीढ़ी की जा रही हो ।
- ऐसी कोई किस्म जो वन्य सम्बन्धी (जंगली प्रजाति) है जिनके बारे में किसानों को ज्ञान हो ।

कृषक प्रजाति के उदाहरण

- चना 1, बूटी चना
- अलंकार अडोली उर्द
- कुदरत–3, रामदी, सरना, बारगारो माह तुअर
- बीकानेरी नरमा कपास
- नंद्रन केला
- दशहरी आम

अधिनियम के तहत दिए गए अधिकार

- प्रजनक के अधिकार
- प्रजाति को बेच सकता है
- प्रजाति के व्यापार के लिए लाइसेंस दे सकता है ।

शोधकर्ता के अधिकार

- किसी भी पंजीकृत प्रजाति के पौधे का अपने शोधकार्य में प्रयोग कर सकता है

किसानों के अधिकार

- किसानों को प्रजातियों के परिरक्षक एवं धरोहर के रूप में मान्यता

किसानों द्वारा बीज का सरंक्षण

- किसानों की किस्मों का भी पंजीकरण हो सकता है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही निशुल्क।
- नदानीयत में अतिलंघन करने पर कोई कानूनी कारवाही नहीं होगी।
- कम पैदावार के लिए मुआवजा का प्रावधान।
- किसी भी पंजीकृत प्रजाति के बीज की बुआई कर सकता है।
- फसल लेने के बाद उसके बीज से दोबारा बुआई कर सकता है।
- किसी भी पंजीकृत प्रजाति का बीज तैयार कर सकता है और बेच सकता है।
- किसान भी प्रजाति के प्रजनक हो सकते हैं।
- कोई गाँव या किसानों का समूह यदि जैव सरंक्षण का काम करता है तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- कोई व्यक्ति या संस्था किसानों की प्रजातियों का इस्तेमाल नई प्रजातियों के विकास के लिए करता है तो उस व्यक्ति या संस्था को इसका लाभांश देना होता है।

प्रकाशक
निदेशक
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
कानपुर-208 024

(प्रकाशन सं. : 05/2026 | मुद्रित : मार्च, 2026)

भा.कृ.अनु.प.-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र, फंदा, भोपाल

विश्व व्यापार के नए दौर में बौद्धिक सम्पदा एवं किसानों के अधिकार

सुरेंद्र घृतलहरे, निधि कुमारी
दिबेन्दू दत्ता, गीतांजलि सहाय
अमित भटोरे एवं प्रियंका श्रीवास्तव

सम्पदा क्या है?

सभी प्रकार की चल अचल संपत्ति

उदाहरणः भूमि, मकान, आभूषण, कृषि यंत्र, वाहन, शेयर, बैंक में जमा राशि, नकद रुपया, औद्योगिक उत्पाद इत्यादि।

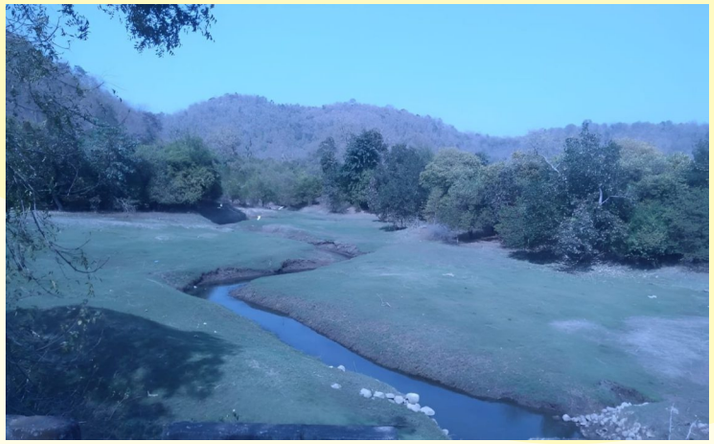

प्राकृतिक सम्पदा

बौद्धिक सम्पदा

- ज्ञान, बुद्धि को सम्पदा के रूप में मान्यता
- किसी वास्तु उत्पाद बनाने में बुद्धि का नवीन प्रयोग
- अन्य किसी भी सम्पदा की तरह बौद्धिक सम्पदा का हस्तांतरण हो सकता है।
- बौद्धिक सम्पदा को बचाने के लिए कानूनी संरक्षण जरुरी है ।

सम्पदा की विशेषतायें

- क्रय विक्रय किया जा सकता है
- कानूनी सरंक्षण प्रदान किया गया है
- हस्तांतरित किया गया है
- वंशागत होती है।

बौद्धिक सम्पदा के सरंक्षण के अधिनियम

- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970
- पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001
- भौगौलिक संकेत अधिनियम 1999
- जैव विविधता अधिनियम 2002

बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के लाभ

- नवीन तकनीकों की खोज में बढ़ोतरी होगी।
- अच्छे उत्पाद कम मूल्यों में उपलब्ध होंगे।
- मूल आविष्कारकों को आर्थिक लाभ होगा।

भारतीय कानून के अंतर्गत पेटेंट न होने वाली वस्तुएं

- जीव–जंतु, पौधे, सुक्ष्म जीव
- जीवों के उपचार के तरीके

उत्पादों के भौगौलिक संकेत अधिनियम 1999

- भौगौलिक चिन्ह से कृषि उत्पादों को एक क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ा जाता है।
- यह केवल विशिष्ठ उत्पादों के लिए होता है।
- इसका उद्देश्य असली उत्पादों को लाभ पहुँचाना है।
- यह अधिनियम दलहनी उत्पादों पर भी लागु होता है,

  उदाहरणः कालाबुर्गी तुअर, मुन्शियारी राजमा, सोना मूँग, अत्ताप्पदी अवार बीन इत्यादि

भौगोलिक संकेत (जी.आई.) टैग

भौगौलिक संकेत की विशेषताएं

- केवल पंजीकृत किसान या कारीगर ही उत्पाद बेचने के हकदार होते हैं
- पंजीकृत भौगौलिक संकेत को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता
- यह एक सामुदायिक अधिकार है।

जैव विविधता अधिनियम 2002

उद्देश्य

- पारम्परिक ज्ञान को संरक्षित करना
- जैव विविधता को बचाए रखना
- जैव विविधता के गलत दोहन को रोकना
- विदेशियों द्वारा जैव विविधता के हनन को रोकना

जैव विविधता में भारत की स्थिति

- भारत विश्व में 17 वां अत्यधिक जैव विविधता वाला देश है
- भारत का जैव विविधता में 7–8 प्रतिशत योगदान है
- जैव विविधता को संरक्षित करने की आवशकता है ।

दलहनी फसलों में जैव विविधता के लाभ

- रोगों, कीटों से प्रतिरोधी क्षमता के जीन का आधार है जैसे कि जंगली मूँग, तुअर

जैव विविधता में खतरों के कारण

- अवैध दोहन
- जंगलों का कटान
- जलवायु परिवर्तन
- जनसँख्या में वृद्धि

जैव सम्पदा का उपयोग

- भारतीय नागरिक निशुल्क उपयोग कर सकते हैं।
- औद्योगिक दोहन के लिए अनुमति लेनी होती है।
- विदेशी नागरिकों के लिए स्वीकृति अनिवार्य होती है।

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम 2001 प्रमुख कार्य

- पौधों की नई किस्मों का पंजीकरण करना ताकि उसका कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था लाभ न उठा सके।
- किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करना।